भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †674
दिनांक 23.07.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिजों को 'प्रमुख खनिज' श्रेणी में शामिल करने के लिए दिशानिर्देश

†674. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय खनन कानूनों के तहत किसी खनिज को "प्रमुख खनिज" के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्रमुख खनिज श्रेणी के अंतर्गत अभ्रक, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और बेराइट्स के लिए खनन पट्टे प्रदान करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खनिजों को प्रमुख श्रेणी में शामिल करने से पर्यावरणीय मंजूरी संबंधी प्रक्रिया और अनुपालन मानदंड प्रभावित होते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार पुनर्वर्गीकरण के बाद स्थानीय समुदायों और लघु-स्तरीय खनिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करेगी और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) नए जोड़े गए प्रमुख खनिजों के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रस्तावित नियामक तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) की धारा 3(ङ) के अनुसार, "गौण खनिज" से भवन निर्माण हेतु प्रयुक्त पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त रेत से भिन्न साधारण रेत, तथा कोई अन्य खनिज जिसे केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, गौण खनिज घोषित करे, अभिप्रेत है। अन्य सभी खनिजों को प्रमुख खनिज माना जाता है।

(ख): केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 3(ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 20 फ़रवरी, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ. 924 (ङ) द्वारा बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वाट्र्ज खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है।

(ग): पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान करने के मानदंड, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जिसका प्रशासन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, के प्रावधानों के अंतर्गत जारी, समय-समय पर यथा संशोधित, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अनुसार शासित होते हैं।

(घ): जी, हाँ। केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 20क के तहत जारी 1 मई, 2025 के आदेश द्वारा इन खनिजों के संबंध में प्रदत्त मौजूदा खनन पट्टों को गौण खनिजों से प्रमुख खनिजों में सुचारू रूप से परिवर्तित करने के लिए कुछ अस्थायी प्रावधान किए हैं।

(ङ): प्रमुख खनिजों के रूप में बेराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक और क्वाट्र्ज़ खनिजों के पुनर्वर्गीकरण के अनुसार, इन खनिजों के मौजूदा पट्टों को प्रमुख खनिजों के संबंध में एमएमडीआर अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जा रहा है।

*****